



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072023-246922  
CG-DL-E-01072023-246922

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]  
No. 161]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ 9, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2023

सं. 20/2023

विषय : अग्रिम और ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारकों द्वारा निर्यात दायित्व में चूक के एककालिक निपटान हेतु एमनेस्टी स्कीम में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 18/15/एम-23/पी-5.—विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा निम्नलिखित सार्वजनिक सूचनाएँ जारी की गई हैं:—

(i) सार्वजनिक सूचना सं. 02/2023 दिनांक 01.04.2023—एमनेस्टी स्कीम की अधिसूचना।

(ii) सार्वजनिक सूचना सं. 07/2023 दिनांक 18.04.2023—एमनेस्टी स्कीम में संशोधन।

2. समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा एमनेस्टी स्कीम को अधिसूचित करने वाली सार्वजनिक सूचना सं. 02/2023 दिनांक 01.04.2023 के पैरा II (vii) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

**ii) vii.** यह लाभ उठाने का विकल्प चुनने वाले किसी भी प्राधिकार पत्र धारक को 31.12.2023 को या उससे पहले उपरोक्त पैरा (iii) में यथा-उल्लिखित पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करना होगा और क्षेत्राधिकार

प्राप्त संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों के पास 31.03.2024 तक सीमाशुल्क और ब्याज का भुगतान करना होगा।

3. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाओं की अन्य विषय वस्तु समान रहेंगी।

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** एमनेस्टी स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.12.2023 तक बढ़ा दी गई है और सीमाशुल्क और ब्याज के भुगतान हेतु अंतिम तिथि 31.03.2024 तक बढ़ा दी गई।

राजेश अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 30th June, 2023

**No. 20/2023**

**Subject: Amnesty scheme for one time settlement of default in export obligation by Advance and EPCG authorization holders – Amendment reg.**

**F. No. 18/15/AM-23/P-5.**—The following Public Notices have been issued by the Directorate General of Foreign Trade :-

- (i) Public Notice No. 02/2023 dated 01.04.2023 – Notification of Amnesty Scheme.
- (ii) Public Notice No. 07/2023 dated 18.04.2023 – Amendment of Amnesty Scheme

2. In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the **para II(vii) of** Public Notice No. 02/2023 dated 01.04.2023 notifying the Amnesty Scheme :-

**II) vii.** Any authorisation holder choosing to avail this benefit must complete the process of registration as mentioned in para (iii) above on or before **31.12.2023** and payment of Customs duty plus interest with the Jurisdictional Customs Authorities concerned shall be completed by **31.03.2024**.

3. The other contents of the above mentioned Public Notices shall remain the same.

**Effect of this Public Notice:** The last date to apply under the Amnesty Scheme has been extended till 31.12.2023 and last date for payment of Customs Duty plus interest has been extended till 31.03.2024.

RAJESH AGRAWAL, Director General of Foreign Trade  
& Addl. Secy.